न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 286/2020 दायर दिनाँक 27.10.2020

वादीगण

कानी देवी पत्नि केशरीमल जाति जाट निवासी ब्यामसर तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर
2. महावीर प्रसाद पुत्र भवानी शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी लोसल तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर
3. कमला देवी पत्नि लच्छाराम जाति जाट निवासी डाबड़ा
4. तोफिक अहमद पुत्र लाल खां जाति कुरैशी निवासी खींवा तहसील लक्ष्मणगढ़
5. मंजू पत्नि नानू जाति भार्गव निवासी सिंगरावट तहसील धोद
6. कोमल चौधरी पत्नि संदीप जाखड़ जाति जाट निवासी सुद्रासन
7. चिंरजीलाल पुत्र भंवरलाल जाति भार्गव निवासी नुंवा
8. रूपाराम पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी पायली
9. तहसीलदार महोदय डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

उपस्थित:–

1. श्री चैनाराम थोरी वकील वादीनी।
2. श्री सैयद अल्ताफ हुसैन वकील प्रति0 सं0 4।
3. श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रति0 सं0 8।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 16.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि खेत खसरा सं0 89/810 रकबा 0.97 हैक्टे0 में से वादीया का खरीद सुदा 36/230 हिस्सा अर्थात 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम नूंवा पटवार हल्का नूंवा में अवस्थित है।

उक्त खसरान में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 24.02.2022 को तहसीलदार डीडूंदं को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक 1311 दिनांक 07.0[illegible]2022 [illegible] के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। [illegible] बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। [illegible] तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1311 दिनाँक 07[illegible]2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीनी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 89/810 रकबा 0.97 हैक्टे0 में से वादीया का खरीद सुदा 36/230 हिस्सा में से अर्थात 11 बिस्वा (0.0890 हैक्टे0) भूमि वाकै ग्राम नूंवा पटवार हल्का नूंवा तहसील डीडवाना की भूमि में वादीनी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1311 दिनॉंक 07.07.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 1311 दिनॉंक 07.07.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉंक **16.08.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 286/2020 दायर दिनाँक 27.10.2020

वादीनी

1. कानी देवी पत्नि केशरीमल जाति जाट निवासी क्यामसर तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. रामेश्वरलाल पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर
2. महावीर प्रसाद पुत्र भवानी शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी लोसल तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर
3. कमला देवी पत्नि लच्छाराम जाति जाट निवासी डाबड़ा
4. तोफिक अहमद पुत्र लाल खां जाति कुरैशी निवासी खींवा तहसील लक्ष्मणगढ़
5. मंजू पत्नि नानू जाति भार्गव निवासी सिंगरावट तहसील धोद
6. कोमल चौधरी पत्नि संदीप जाखड़ जाति जाट निवासी सुद्रासन
7. चिंरजीलाल पुत्र भंवरलाल जाति भार्गव निवासी नुंवा
8. रूपाराम पुत्र बिरमाराम जाति जाट निवासी पायली
9. तहसीलदार महोदय डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53,88,188 R.T.Act.

दिनाँक 16.08.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी निनजानिब मुद्दई श्री चैनाराम थोरी वकील वादीनी व श्री सैयद अल्ताफ हुसैन वकील प्रति० सं0 4 व श्री महेन्द्र खिलेरी वकील प्रति० सं0 8 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वादीनी व प्रतिवादीगण के सयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 89/810 रकबा 0.97 हैक्टे0 में से वादीया का खरीद सुदा 36/230 हिस्सा में से अर्थात 11 बिस्वा (0.0890 हैक्टे0) भूमि वाकै ग्राम नूंवा पटवार हल्का नूंवा तहसील डीडवाना की भूमि में वादीनी घोषणा खातेदारी व वंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1311 दिनाँक 07.07.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 1311 दिनाँक 07.07.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज को [illegible]08.2022 को सरे इजलास जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:03:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner